# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 90 – विनियम एवं काविनी / पाकालि /2017–20–विनियम/2015 दिनांक 03 जुलाई, 2017

विषय :– अपर निजी सचिव के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित लिखित एवं टंकण परीक्षा प्रणाली में संशोधन।

## कार्यालय ज्ञाप

"आर्टिकिल ऑफ एसोसिऐशन" में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनॉक 19.06.2017 को सम्पन्न 129वीं बैठक में मद संख्या–129(42) पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, मुख्यालय अपर निजी सचिव सेवा विनियमावली–2015 में कार्यालय ज्ञाप सं0–23–विनियम एवं काविनी/पाकालि/2015–20–विनियम/2015 दिनांक 25.02.2016 द्वारा भाग–5 सीधी भर्ती/विभागीय परीक्षा हेतु निर्धारित की गयी लिखित एवं टंकण परीक्षा प्रणाली को एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

| वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था<br>स्तम्भ–अ | प्रस्तावित व्यवस्था स्तम्भ–अ के स्थान पर<br>स्तम्भ–ब |
|---|---|
| अपर निजी सचिव के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती एवं विभागीय परीक्षा द्वारा क्रमशः 75 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत भर्ती की प्रक्रिया निम्नवत होगी :–<br><br>**(क) लिखित परीक्षा** : लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र दो भागों का होगा।<br><br>**प्रथम भाग :–**<br>प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOEACC के "O" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ¼ अंक की कटौती की जायेगी।<br>प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।<br><br>**द्वितीय भाग :–**<br>लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक | अपर निजी सचिव के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले अथवा प्रोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों पर चयन किये जाने हेतु विद्युत सेवा आयोग द्वारा निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–<br><br>**प्रथम भाग :–**<br>(1) इस भाग में NIELIT के "O" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा अर्थात् यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक ¼ अंक प्रदान किये जाएंगे अर्थात् ¼ अंक की कटौती की जाएगी।<br>(2) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम–से–कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।<br>(3) कम्प्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किये गये अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे।<br><br>**द्वितीय भाग :–**<br>इस भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न–पत्र होगा, जिनके अधिकतम अंक सम्मुख |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| कटौती की जायेगी। | | | उत्तर के लिये ऋणात्मक ¼ अंक प्रदान किये जाएंगे अर्थात् ¼ अंक की कटौती की जाएगी। | | |
| प्रश्न पत्र | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | पाठ्यक्रम | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक |
| सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान | 50 | 50 | (1) सामान्य अध्ययन व तार्किक ज्ञान | 40<br>40 | 40<br>40 |
| सामान्य हिन्दी एवं व्याकरण *(इण्टरमीडिएट स्तर)* | 50 | 50 | (2) सामान्य हिन्दी *(इण्टरमीडिएट उच्च स्तर)* | 60 | 60 |
| सामान्य अंग्रेजी *(इण्टरमीडिएट स्तर)* | 50 | 50 | (3) सामान्य अंग्रेजी *(इण्टरमीडिएट उच्च स्तर)* | 60 | 60 |
| कुल अंक | | 150 | कुल अंक | | 200 |

**तृतीय भाग :–**

द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर ही टंकण परीक्षा में प्रतिभाग लेने हेतु अभ्यर्थियों की "अनन्तिम सूची" (Tentative List) तैयार की जायेगी, अर्थात ज्यादा अंक पाने वाला अभ्यर्थी अपने से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी से श्रेष्ठता सूची में ऊपर होगा। कम्प्यूटर ज्ञान के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।

आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा हेतु इस "अनन्तिम सूची" में अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष किया जायेगा।

**(ख) सीधी भर्ती एवं विभागीय परीक्षा के मानक :**

**(1) आशुलेखन परीक्षा :–**

(i) हिन्दी आशुलेखन परीक्षा के लिए 5 मिनट का समय निर्धारित होगा।

(ii) हिन्दी आशुलेखन के टंकण हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित होगा।

(iii) हिन्दी आशुलेखन परीक्षा में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

**(2) टंकण परीक्षा :–**

(i) टंकण परीक्षा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पृथक–पृथक ली जायेगी। शब्दों की गणना 05 मिनट की टंकण परीक्षा के आधार पर की जायेगी। टंकण परीक्षा कम्प्यूटर पर ली जायेंगी।

(ii) हिन्दी एवं अंग्रेजी की टंकण परीक्षाओं में न्यूनतम 40–40 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

**तृतीय भाग :–**

उपरोक्त द्वितीय भाग की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर हिन्दी आशुलेखन तथा हिन्दी व अंग्रेजी की टंकण परीक्षा हेतु आमन्त्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमन्त्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष तीन गुने से कम नहीं होगी।

आशुलेखन तथा हिन्दी व अंग्रेजी की टंकण परीक्षा के मानक निम्नवत् होंगे :–

**(1) आशुलेखन परीक्षा :–**

हिन्दी आशुलेखन परीक्षा के लिए दिये जाने वाले श्रुतलेख (Dictation) हेतु 05 मिनट का समय निर्धारित होगा। इस 05 मिनट की अवधि में दिये गये श्रुतलेख (Dictation) के कम्प्यूटर पर टंकण हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित होगा और इस प्रकार इस 35 मिनट की अवधि में लिए गए श्रुतलेख एवं किये गये टंकण के आधार पर आशुलेखन गति का निर्धारिण किया जायेगा।

**(2) टंकण परीक्षा :–**

(i) हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में टंकण की परीक्षा ली जायेगी। हिन्दी टंकण की परीक्षा Kruti Dev 010 या 016 फोन्ट में ली जायेगी।

(ii) टंकण हेतु अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 05 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जाएगा।

| **नोट :-** | **प्रतिबन्ध :-** |
|---|---|
| हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट या इससे अधिक की गति प्राप्त करने वाले तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण में 40–40 शब्द प्रति मिनट या इससे अधिक की गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही चयन के पात्र होंगे। | चयन हेतु आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति एवं हिन्दी व अंग्रेजी टंकण में 40–40 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अर्थात् आशुलेखन एवं हिन्दी व अंग्रेजी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न कर सकने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे। |
| **टिप्पणी :-** | **विशेष :-** |
| 1. अपर निजी सचिव के पद के लिये वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रारूप विद्युत सेवा आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। | 1. उपरोक्तानुसार, निर्धारित प्रतिबन्धों एवं अर्हताओं के अधीन, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अन्तिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी। |
| 2. लिखित परीक्षा में अधिक से कम अंक प्राप्त करने के क्रम में विद्युत सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती एवं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अलग–अलग ज्येष्ठता सूची तैयार कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी। | 2. उपरोक्तानुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में, उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपररहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी। |
| 3. लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में, उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपररहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी किन्तु अंक एवं उम्र दोनों के समान होने की स्थिति में टंकण परीक्षा में अधिक गति प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा। | 3. परीक्षा प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्य ऐसे बिन्दु जिनका इस विनियमावली में कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा। |

**निदेशक मण्डल की आज्ञा से।**

संख्याः 90 –(1) विनियम / काविनी–29 / पाकालि / 2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
6. अपर सचिव (प्रथम / द्वितीय / तृतीय) / उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पा0का0लि0, एस0एल0डी0सी0 परिसर (निकट मंत्री आवास), विभूति खण्ड, फेज–2, गोमती नगर, लखनऊ।
8. संयुक्त सचिव (सचि0प्रशा0) उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

03.07.17

(राजेश कुमार भटनागर)
**अनु सचिव (विनियम)**